सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

प्रार्थना पत्र संख्याः– 94/प्रा0पत्र/2022 — दायरा दिनांक :– 30.05.2022

GCMS ID–2022/127

1. मोहनी देवी पत्नी प्रकाश चन्द जाति तेली निवासी ग्राम चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत
वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
वकील अप्रार्थीगण :– पेरोकार सरकार

दिनांक :– 30/04/2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि खसरा संख्या 1555/11 कुल करबा 1.2950 हैक्टेयर वाके ग्राम धनपुरा पटवार हल्का चतरगंज तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है, जो जमाबन्दी सम्वत 2076–2079 खतौनी संख्या 83 में प्रार्थीया के खाते में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि पर आने जाने हेतु रिकॉडेड रास्ता नहीं है और रिकोर्डेड रास्ता नहीं होने से प्रार्थीया की अपनी भूमि में आने जाने में दिक्कत आती है। प्रार्थीया वर्तमान में नेशनल हाईवे से ग्राम धनपुरा के रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 12 से सिवायचक भूमि खसरा संख्या 11 में होकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1155/11 पर आती जाती है। ग्राम धनपुरा के रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 12 से उत्तरी ओर खसरा संख्या 11 सिवायचक में मौके पर रास्ता बना हुआ है लेकिन उक्त रास्ता रिकॉर्ड में नहीं होने के कारण उक्त रास्ते के अडोसी पडोसी व्यक्ति रास्ते पर अतिचार करने की कुचेष्ठा करते है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया के समक्ष खसरा संख्या 11 में रिकॉर्ड रास्ता खसरा संख्या 12 से प्रार्थीया की भूमि तक 20 फिट चौडे रास्ते की घोषणा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। रिकॉर्डेड रास्ता खसरा संख्या 12 से खसरा संख्या 11 में प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 1555/11 तक मौके पर बने हुए रास्ते व प्रार्थीया द्वारा चाहे गये रास्ते को नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में प्रदर्शित किया गया है जिसके अनुरूप रास्ते की घोषणा की

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीया की भूमि पर आने जाने हेतु वर्तमन में रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 12 में सिवायचक भूमि खसरा संख्या 11 में होकर प्रार्थीया की भूमि खसरा संख्या 1555/11 तक 20 फिट चोडा रास्ता बना हुआ है जिसको राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर, रास्ते की घोषणा करवाकर रास्ते की भूमि पर से सिवायचक का अंकन विलोपित करवाना चाहती है। प्रार्थीया की भूमि पर प्रार्थीया द्वारा चाहे गए व प्रस्तावित किये गये रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं है। प्रार्थीया को अपनी भूमि पर कृषि बेलगाडी ट्रेक्टर ट्रॉली, कृषि उपकरण आदि लाने ले जाने उपज व चारा घर लोन व आने जाने हेतु रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीया ग्राम धनपुरा के रिकॉडैड रास्ता खसरा संख्या 12 से उत्तरी ओर स्थित खसरा संख्या 11 में 20 फिट चोडा रास्ते में अवाप्त भूमि में से सिवायचक भूमि का अंकन विलोपित करवावे एवं रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाकर रास्ते की नक्शे में तरमीम करवावे। प्रार्थीया ने खसरा सख्या 11 में 20 फिट चोडा रास्ता घोषित करने हेतु तहसीलदार हिण्डोली के समक्ष दिनांक 16.05.2022 को निवेदन किया लेकिन तहसीलदार साहब ने न्यायालय के आदेश के बिना रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने से इन्कार कर दिया है यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत का कारण है। श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया रास्ते में अवाप्त भूमि की प्रतिकर राशि नियमानुसार जमा करवाने को तैयार है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम धनपुरा में स्थित प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 1155/11 पर आने जाने हेतु रिकॉडैड रास्ता खसरा संख्या 12 से खसरा संख्या 11 में 20 फिट चोडा रास्ता घोषित किया जाकर रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे तथा रास्ते की तरमीम नक्शे में की जावे। एवं रास्ते में अवाप्त भूमि पर सिवायचक के अंकन को विलोपित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार हिण्डोली की ओर से पत्रांक :-राजस्व/24/1626 दिनांक :-01.07.2024 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थीया ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1555/11 वाके ग्राम धनपुरा पटवार मण्डल चतरगंज में आने जाने हेतु रिकॉडेड रास्ता खसरा संख्या 12 से

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

उत्तरी ओर भूमि खसरा संख्या 11 राजकीय सिवायचक भूमि में से होते हुए 20 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है, उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थीया इस बाबत निर्धारित प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया फरमाया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 11 में से 12 फिट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है।

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया को अपनी खातेदारी भूमि खाता संख्या 83 के खसरा संख्या 1555/11 वाके ग्राम धनपुरा पटवार मण्डल चतरगंज में आने–जाने हेतु तहसीलदार हिण्डोली से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम धनपुरा के खसरा नम्बर 11 राजकीय सिवायचक में से 12 चौडे व 480 मीटर लम्बे रास्ते में कुल 1920 वर्ग मीटर या 0.1920 हैक्टेयर भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 620000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि 0.1920 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 119040/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 238080/रू– का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा निर्धारित मद में जरिये चालान जमा करवाकर चालान प्रति पेश करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :— 30.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446